

1. अणु मार्ग स्थित 'विमर्श', पटना में दिनांक-15 मई, 2014 वृहस्पतिवार को अपराहन 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

गृह विभाग

(आरक्षी)

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 1. | श्री समीरण चौधरी (बिहार पुलिस सेवा) तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, झंझारपुर को सेवा से बर्खास्त (Dismiss) करने के संबंध में। | 1. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

विधि विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 2. | विधि विभागीय राज्यादेश ज्ञापांक-3072/जे० दिनांक-01.09.2006 द्वारा अस्थायी रूप से सृजित 84 पदों के स्थायीकरण के संबंध में। | 2. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

विधि विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 3. | न्यायमंडल, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय एवं भागलपुर में अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत न्यायालय में लंबित वादों के त्वरित निष्पादन हेतु अनन्य विशेष न्यायालय (Exclusive Special Court) की स्थापना के लिए आवश्यक वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के, कुल 30 पदों के सृजन के संबंध में। | 3. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

विधि विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 4. | न्यायमंडल बेगूसराय के अधीन मझौल अनुमंडल में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सबजज-1, अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी एवं दो न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालयों के लिए तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कोटि के कुल 49 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। | 4. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

विधि विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 5. | राज्य में महिला उत्पीड़न से संबंधित वादों के लिए तथा बालकों, निःशक्त व्यक्तियों, समाज के उपेक्षित समुदाय के लोगों एवं वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित अपराधिक वादों के निस्तारण हेतु राज्य के 34 जिलों (अरवल, शेखपुरा, किशनगंज एवं शिवहर जहाँ वादों की संख्या कम है को छोड़कर) में 68 (अड़सठ) त्वरित न्यायालय के गठन के संबंध में। | 5. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

वित्त विभाग

6. श्री मदन मोहन प्रसाद, से०नि० विशेष सचिव, वित्त विभाग की निदेशक (अन्वेषण), सांस्थिक वित्त के पद पर संविदा पर नियोजन को दिनांक-15.04.14 से आगे पुनः एक वर्ष के लिए विस्तारित करने के संबंध में। 6. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

7. बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2011 में संशोधन की स्वीकृति। 7. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

8. श्री शम्भू कुमार वर्मा, मुंसिफ, आरा को लोकहित में बिहार सेवा संहिता के नियम-74(बी) (ii) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्त कराने के संबंध में। 8. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

9. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के कान, नाक एवं गला विभाग में सीनियर रेजिडेन्ट (वेतनमान 9300-34800/-ग्रेड पे० 5400/-रू०) से सहायक प्राध्यापक (वेतनमान 15600-39100/-ग्रेड पे० 6600/-रू०) के पद पर प्रोन्नति हेतु प्रस्ताव। 9. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

10. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों सह प्राध्यापक (वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे०-7600/-) के पद पर नियमित प्रोन्नति हेतु प्रस्ताव। 10. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

11. राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों के स्वीकृत पद, नियुक्ति प्रोन्नति, वेतन निर्धारण, बकाया वेतनादि एवं पेंशनादि राशि की अनुमान्यता की जाँच हेतु श्री वी०एस०दूबे की अध्यक्षता में गठित समिति का कार्यकाल विस्तारित एवं समिति के अध्यक्ष, सदस्य एवं सदस्य सचिव के प्रतिमाह मानदेय राशि में वृद्धि किये जाने के संबंध में। 11. स्वीकृत।

- श्रम संसाधन विभाग**
12. बिहार नियोजन लिपिकीय संवर्ग (संशोधन) 12. स्वीकृत।
नियमावली-2014 के गठन के संबंध में।

- श्रम संसाधन विभाग**
13. बिहार नियोजन आशुलिपिक/आशुटकक संवर्ग (संशोधन) 13. स्वीकृत।
नियमावली-2014 का गठन के संबंध में।

- श्रम संसाधन विभाग**
14. बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना लिपिकीय सेवा संवर्ग 14. स्वीकृत।
नियमावली, 2014

- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**
15. बिहार उपभोक्ता फोरम आशुटकक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा 15. स्वीकृत।
शर्त) नियमावली 2014 की स्वीकृति।

- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**
16. बिहार उपभोक्त फोरम लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा 16. स्वीकृत।
शर्त) नियमावली 2014 की स्वीकृति।

- पर्यावरण एवं वन विभाग**
17. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) बिहार के अधीन 17. स्वीकृत।
गठित परियोजना निर्माण एवं अनुश्रवण इकाई (P.P.M.U)
के अन्तर्गत कुल 24 अतिरिक्त पदों का सृजन।

- पथ निर्माण विभाग**
18. श्री हरि किशोर सिन्हा, तत्कालीन सहायक 18. स्वीकृत।
अभियंता, एन०आर०ई०पी०, सहरसा सम्प्रति निलंबित
सहायक अभियंता के विरुद्ध प्रतिवेदित प्रमाणित आरोप के
लिए सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति के संबंध में।

समाज कल्याण विभाग

19. भारत सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति के परिपेक्ष्य में नई दरों को राज्य में वित्तीय वर्ष 2014-15 से लागू करने हेतु एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस) अन्तर्गत स्थापना मद (आई०एस०एस०एन०आई० पी० योजना सहित) के संधारणार्थ राज्य योजना केन्द्रांश मद में ₹ 828,78,88,000/- (आठ सौ अठाईस करोड़ अठहत्तर लाख अठासी हजार) तथा राज्य योजना-राज्यांश मद में ₹ 94,62,98,000/- (चौरानवें करोड़ बासठ लाख अठानवें हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।
19. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

20. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के चर्म एवं रति रोग विभाग में सहायक प्राध्यापक/कार्यकारी सह प्राध्यापक (वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे०-6600) के पद पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों को सह प्राध्यापक (वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे०-7600/-) के पद पर नियमित प्रोन्नति हेतु प्रस्ताव।
20. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

21. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के फिजियोलॉजी विभाग में सहायक प्राध्यापक/कार्यकारी सह प्राध्यापक (वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे०-6600) के पद पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों को सह प्राध्यापक (वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे०-7600/-) के पद पर नियमित प्रोन्नति हेतु प्रस्ताव।
21. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(समाज कल्याण निदेशालय)

22. समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत बाल संरक्षण लेखापाल-सह-भंडारपाल संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2014 की स्वीकृति के संबंध में।
22. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(आई०सी०डी०एस० निदेशालय)

23. समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत बिहार समेकित बाल विकास लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2014 की स्वीकृति के संबंध में।
23. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(समाज कल्याण निदेशालय)

24. समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत "बाल संरक्षण पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2014" की स्वीकृति के संबंध में।
24. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

25. लखीसराय न्यायमंडल/सत्र खंड तथा परिवार न्यायालय की स्थापना हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश- 01 (एक), प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय-01 (एक), अवर न्यायाधीश/असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)-01 (एक), प्रभारी न्यायाधीश /असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि)-01 (एक) एवं न्यायिक दण्डाधिकारी/असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि)-05 (पाँच) पदों सहित कुल 09 (नौ) पदों का सृजन।
25. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

26. सुपौल न्यायमंडल/सत्र खंड तथा परिवार न्यायालय की स्थापना हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश-01 (एक), प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय-01 (एक), अवर न्यायाधीश/असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)-02 (दो), प्रभारी न्यायाधीश/असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि)-01 (एक) एवं न्यायिक दण्डाधिकारी/असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि)-05 (पाँच) पदों सहित कुल 10 (दस) पदों का सृजन।
26. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

27. मधुबनी न्यायमंडल अन्तर्गत झंझारपुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय की स्थापना हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 2 (दो) पदों का सृजन।
27. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

28. बेगूसराय जिलान्तर्गत मंझौल अनुमंडल में सब जज-I-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी का 1 (एक) पद, अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी का 1 (एक) पद तथा न्यायिक दण्डाधिकारी के 2 (दो) पदों सहित कुल 4 (चार) पदों का सृजन।
28. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

29. बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के नियम-12 (1) के आलोक में बैंड वेतन-9300- 34,800/-+ग्रेड वेतन-4800/-में कार्यरत प्रशाखा पदाधिकारियों की अवर सचिव/समकक्ष कोटि के पद पर बैंड वेतन-15,600-39,100/-+ग्रेड वेतन- 6600/-में नियमित प्रोन्नति के संबंध में।
29. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

30. अररिया न्यायमंडल के लिए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय का 1 (एक) पद, सब जज/असैनिक न्यायाधीश, वरीय वर्ग का 2 (दो) पद, प्रभारी न्यायाधीश/असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) का 1 (एक) पद एवं न्यायिक दण्डाधिकारी/असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) का 7 (सात) पद सहित कुल 11 (ग्यारह) पदों का सृजन।
30. स्वीकृत।

वाणिज्य-कर विभाग

31. वाणिज्य-कर विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में वर्ष 1979-80 एवं 81 में प्रमंडलीय वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्तों द्वारा वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पद पर नियुक्त किये गये 351 कर्मियों में से 134 कर्मियों की सेवा को नियमित करने का प्रस्ताव।
31. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

32. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के पैथोलॉजी विभाग में सह प्राध्यापक (वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे०-7600) के पद पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों को प्राध्यापक (वेतनमान 37400-67000 ग्रेड पे०-8700/-) के पद पर नियमित प्रोन्नति हेतु प्रस्ताव।
32. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

33. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के टी०वी० एण्ड चेस्ट विभाग में सह प्राध्यापक (वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे०-7600) के पद पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों को प्राध्यापक (वेतनमान 37400-67000 ग्रेड पे०-8700/-) के पद पर नियमित प्रोन्नति हेतु प्रस्ताव।
33. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

34. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के माइक्रोबायलॉजी विभाग में सह प्राध्यापक के पद पर (वेतनमान 15600-39100/-ग्रेड पे०-7600/-) कार्यरत चिकित्सक शिक्षक को प्राध्यापक के पद पर (वेतनमान 37,400-67,000/-ग्रेड पे०-8700/-) नियमित प्रोन्नति हेतु प्रस्ताव।
34. स्वीकृत।

गृह (विशेष) विभाग

35. दिनांक-12.10.2012 को मधुबनी में उग्र भीड़ द्वारा हिंसक घटनाओं और पुलिस फायरिंग की न्यायिक जाँच हेतु गठित जाँच आयोग का दिनांक-18.04.2014 से दिनांक-30.06.2014 तक अवधि विस्तार के संबंध में।
35. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

36. बिहार हेतु अधिसूचित अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-19 पर दर्ज "खतवे" जाति के विलोपन के उपरांत "खतवे" को चौपाल अनुसूचित जाति की उपाधि घोषित करते हुए चौपाल जाति का जाति प्रमाण-पत्र एवं अन्य देय सुविधायें प्रदान करने के संबंध में। 36. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

37. पटना, गया, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय एवं भागलपुर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 'अत्याचार निवारण' अधिनियम 1989 के अन्तर्गत लंबितवादों के त्वरित निष्पादनार्थ, अनन्य विशेष न्यायालय (Exclusive Special Court) की स्थापना के निमित्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के एक-एक पद, कुल पाँच पदों का सृजन। 37. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

38. श्री अंजूम हसन अंसारी, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, खगड़िया (अतिरिक्त प्रभार सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, खगड़िया एवं महाप्रबंधक, आई०सी०डी०पी० खगड़िया) सम्प्रति निलंबित को उनके गंभीर प्रमाणित आरोपों के लिए सरकारी सेवा से बर्खास्त करने एवं निलंबन अवधि (दिनांक-24.08.2011 से बर्खास्तगी की तिथि तक) के लिए पूर्व प्रदत्त जीवन निर्वहन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा के दण्ड देने के संबंध में। 38. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

39. नाबार्ड ऋण योजना (RIDF-XIV) के तहत गोपालगंज जिला के विशुनपुर पंचायत में गंडक नदी पर 14.599 कि०मी० लंबाई में पहुँच पथों एवं 21.41 कि०मी० लम्बाई में सम्पर्क पथों के निर्माण कार्य, गाईड बैंध, सुरक्षात्मक कार्य, क्रॉस ड्रेन कार्य, Utility Sifting एवं बचाव आदि कार्यों सहित-1920 मी० (3 x 40.0 मी० + 30 x 60.0 मी०) लम्बाई के उच्च स्तरीय आर०सी०सी० पुल के निर्माण कार्य हेतु कुल 825.833 करोड़ (आठ अरब पच्चीस करोड़ तिरासी लाख तीस हजार) रूपये की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना। 39. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

40. नाबार्ड ऋण योजना (RIDF-XVIII) के अन्तर्गत बिहारशरीफ पथ प्रमंडलान्तर्गत नालन्दा-इस्लामपुर पथ के कि०मी० 0.00 से 30.292 (कुल 30.292 कि०मी० पथांश लम्बाई) में भू-अर्जन, रोड साइनेज, क्रॉस ड्रेन, ड्रेन, उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल, हाई सोल्डरिंग, Utility Sifting एवं बचाव आदि कार्यों सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल 157.5118 करोड़ (एक सौ सन्तावन करोड़ इक्यावन लाख अठारह हजार) रुपये की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना।
40. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

41. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल स्तर लेखा लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली-2014 की स्वीकृति।
41. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

42. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग समूह-"ग"वाहन चालक संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तों) नियमावली-2014 की स्वीकृति।
42. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

43. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के 38 जिलों के प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में 4590 प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में नये चापाकलों के निर्माण तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख-रखाव हेतु रु० 2476.547 लाख (चौबीस करोड़ छिहत्तर लाख चौवन हजार सात सौ रुपये मात्र) की राशि पर प्रस्तुत योजना की स्वीकृति।
43. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

- (सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)
44. मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राज्य योजना मद के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु० 20000.00 लाख (दो सौ करोड़ रुपये) के व्यय की स्वीकृति।
44. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

- (सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)
45. समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत बिहार राजकीय विशेष विद्यालय शिक्षक सम्बर्ग नियमावली 2014 की स्वीकृति के संबंध में।
45. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

46. समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत बाल संरक्षण गृह अधीक्षक/उपाधीक्षक संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तों) नियमावली, 2014 की स्वीकृति के संबंध में। 46. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

47. समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत बिहार बाल संरक्षण सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2014 की स्वीकृति के संबंध में। 47. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

48. वित्तीय वर्ष 2014-15 (01.04.2014 से) में भारत सरकार द्वारा पूरक पोषाहार (खाद्य सुरक्षा अधिनियम सहित) हेतु नई दरों को राज्य के सभी 38 जिलों में लागू करने तथा राज्य योजना अन्तर्गत-केन्द्रांश एवं राज्यांश (सामान्य/विशेष घटक/जनजातीय क्षेत्र उप योजना) मद में कुल वार्षिक लागत ₹ 423342.50 लाख (चार हजार दो सौ तैंतीस करोड़ बयालीस लाख पचास हजार) (पूरक पोषाहार तथा सामग्री एवं पूर्तियाँ) के व्यय की स्वीकृति। 48. स्वीकृत।